रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस.एस.पी./एल.–
डब्लू./एम.पी.–91/2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 मई, 2008
ज्येष्ठ 9, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 826/79-वि-1-08-1(क)13-2007
लखनऊ, 30 मई, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 21 मई, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2008)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

1. 1. यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाता है। संक्षिप्त नाम और विस्तार

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 3 का संशोधन

2. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रख दी जाएँगी, अर्थात्

3. 1. बोर्ड में एक सभापति (जिस पद को निदेशक पदेन धारण करेगा) और बोर्ड का गठन निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रधान,

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दो अध्यापक,

(ग) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि,

(घ) निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि,

(ङ) अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद,

(च) अपर शिक्षा निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) लखनऊ,

(छ) शिक्षा से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति,

(ज) महिला शिक्षा से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो महिला,

(झ) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन,

(ञ) प्राचार्य, राजकीय शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन,

(ट) निदेशक, मनोविज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद,

(ठ) सचिव, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, लखनऊ, पदेन,

(ड) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक जिला विद्यालय निरीक्षक,

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सम्भागी संयुक्त शिक्षा निदेशक,

(ण) क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद पदेन,

(त) प्राचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण, महाविद्यालय रामपुर, पदेन,

(थ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य,

(द) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी अभियन्त्रण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अभियन्त्रण महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य,

(ध) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य,

(न) किसी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी चिकित्सा महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य,

2. बोर्ड का सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा,

3. बोर्ड के सदस्यों का नामनिर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि बोर्ड का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है।" धारा 4 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, शब्द "निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट" के स्थानों पर शब्द 'नामनिर्दिष्ट" रख दिया जाएगा। धारा 13 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्–

(2) ऐसी समितियों में केवल बोर्ड के सदस्य ही सम्मिलित होंगे,

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड का कोई सदस्य इन समितियों में से एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा और समिति के सदस्य इन रूप में तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि वे बोर्ड के सदस्य हैं।

5. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची निकाल दी जायेगी। प्रथम अनुसूची का निकाला जाना

उद्देश्य और कारण

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 में बोर्ड के गठन की व्यवस्था है। उक्त धारा के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार परिषद् में एक सभापति होगा, जो शिक्षा निदेशक होगा और 09 पदेन सदस्य, 31 राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य और 32 निर्वाचित सदस्य होंगे परिषद के कार्य को अधिक कार्यक्रम बनाने तथा परिषद् के मूल शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गयाहै जिससे मुख्यतः सदस्यों की संख्या 72 सदस्यों से घटाकर 25 सदस्य किये जाने और अध्यापकों एवं प्रधानों के निर्वाचन के बजाय उनको राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था की जा सके।

तद्नुसार इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007 पुनःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै. मजहर अब्बास आब्दी
प्रमुख सचिव

No. 826(2)/LXXIX-V-1-08-1(Ka)13-2007
Dated Lucknow, May 30, 2008

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Contitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 21, 2008.

THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2007
(U.P. Act No. 16 of 2008)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
An
ACT
further to amend the Intermediate Education Act, 1921.

It is hereby enacted in the fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :

1. 1. This act may be called the Intermediate Education (Amendment) Act, 2007. Short title and longed

2. It shall extent to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 3 of U.P. Act No. 2 of 1921

2. For section 3 of the Intermediate Education Act, 1921 hereinafterreferred to as the principal Act, the following sections shall be substituted, manely :

"3. (1) the Board consist of a Chairman (which office shall be held Constitution of the Board by the Director, ex-office) and the following other member, namely :

(a) two heads of the institution, mainatained by the State Government, nominatedby the State Government;

(b) two teachers of the institutions maintained by the State Government, nominated by the State Goverment, nominated by the State Government;

(c) the Director, State Council of Educational Research and training Uttar Pradesh, Lucknow ora representative nominated by him;

(d) the Director, State Institute of Educational Management and Training Uttar Pradesh, Allahabad or rep

(e) the Additional Director of Education (Correspondence), correspondence Education Institute, Allahabad;

(f) the Additional Director of Education, (Vocational Education) Lucknow;

(g) two person related to Education, nominated by the State Government;

(h) two women related to the Women's Education, nominated by the State Government;

(i) the Director, State Institute of Science Education, Allahabad, ex-office;

(j) the Principal, State Institute of Education Allahabad ex-officio;

(k) the Director, Bureau of Psychology, Allahabad ex-officio;

(l) the Secretary, Board of Secondary Sanskrit Education, Lucknow, ex-officio;

(m) one District Inspector of Schools nominated by the State Government;

(n) one Regional Joint Director of Education nominated by the State Government;

(o) the Regional Officer, Central board of Secondary Education, Allahabad ex-officio;

(p) the Principal, Government Physical Training College, Rampur, ex-officio;

(q) one Professor of a Degree College affiliated to a University established by law in Uttar Pradesh nominated by the State Government;

(r) one Professor of an Engineering College affiliated to an Engineering University established by law in Uttar Pradesh nominated by the State Government;

(s) one Professor of Agricultural University established by law in Uttar Pradesh, nominated by the State Government;

(t) one Professor of a Medical College affiliated to a Medical University nominated by the State Government.

(2) The Secretary of the Board shall be the *ex-officio* member-secretary of the Board.

(3) As soon as may be after the nomination of the Board has been completed, the State Government shall notify that the Board has been duly constituted".

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words "elected or nominated" the word "nominated" shall be *substituted*. Amendment of section 4

4. In Section 13 of the principal Act *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely : Amendment of section 13

"(2) Such Committees shall consist of the members of the Board only :

Provided that no member of the Board shall be the member of more than one kind of Committee of these Committees and the members of the Committees shall hold office as such till they are members of the Board.

5. The First Schedule to the principal Act shall be *omitted*. Ommission of the First Schedule

---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the intermediate Education Act, 1921 profides for the constitution of the Board. In accordance with the existing provisions of the said section the Board shall consist of a Chairman who shall be the Director of Education and 9 *ex-officio* members, 31 members nominated by the State Government and 32 elected members. With a view to making the working of the Board more efficient and for achieving the objective of fundamental educational aim of the Board, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for reducing the number of members from 72 members to 25 members and nomination of teachers and heads by the State Government instead of the election thereof.

The Intermediate Education (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,

S. M. A. ABIDI
Pramukh Sachiv